VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(12 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों को कोई छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- भारत में आपदा राहत को कैसे वित्तपोषित किया जाता है?
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से गुणवत्ता के प्रति जागरूक भारत के मिशन के लिए प्रतिबद्धता जताई

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों को कोई छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मुद्दा क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को घोषणा की कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE) की धारा 6A के तहत प्रावधान इसकी स्थापना से ही अमान्य है।

- इस प्रावधान ने CBI के लिए सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था।

- इसका मतलब यह है कि अब सीबीआई को 2014 से पहले दर्ज मामलों की जांच या मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
- यह उस तारीख से लागू है जब प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ***"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार जब कोई कानून, संविधान के भाग-III के उल्लंघन के कारण, असंवैधानिक घोषित हो जाता है, तो संविधान का अनुच्छेद 13(2) और आधिकारिक घोषणाओं द्वारा इसकी व्याख्या के क्रम में, उसे शुरू से ही अमान्य, मृत, अप्रवर्तनीय और गैर-स्थायी माना जाएगा"***।
- **"इस प्रकार, सुब्रमण्यम स्वामी (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई घोषणा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। अर्थात डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को इसके सम्मिलन की तारीख, यानी 11.09.2003 से लागू नहीं माना जायेगा"**।
- पांच न्यायाधीशों की पीठ के लिए फैसला लिखने वाले **न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने यह भी** कहा कि **"अनुच्छेद 20(1), जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए जो अपराध के समय लागू था, का भी कोई प्रावधान इसमें रुकावट नहीं है"**।

- **DSPE अधिनियम की धारा 6A का प्रावधान:**
  - ➢ DSPE अधिनियम की धारा 6A, जब यह अस्तित्व में था, **संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को CBI द्वारा प्रारंभिक जांच का सामना करने से भी छूट देती** थी।
  - ➢ 2014 में एक संविधान पीठ ने कानूनी प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन घोषित किया था।

इस निर्णय का भ्रष्टाचार उन्मूलन पर प्रभाव:

- इसका मतलब यह है कि **पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को अमान्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अब पूर्व मंजूरी की सुरक्षा का लाभ नहीं उठा** पाएंगे।
- इस फैसले से 2003 और 2018 के बीच सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू किए गए **भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए का प्रावधान लागू हुआ।**
- **'भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है':** 2014 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ***"भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और एक भ्रष्ट लोक सेवक पर नज़र रखना, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, और ऐसे व्यक्ति को दंडित करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,***

1988 के तहत एक आवश्यक आदेश है। लोक सेवक की स्थिति या पद उस व्यक्ति को समान व्यवहार से छूट का पात्र नहीं बनाता है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में विभाजित नहीं करती है क्योंकि वे सामान्य अपराध करने वाले होते हैं और पूछताछ और जांच की एक ही प्रक्रिया द्वारा उनका पता लगाया जाना चाहिए"।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946:

- **केंद्रीय जांच ब्यूरो की उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) से हुई है, जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया** था। तब SPE का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेनदेन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था।
- युद्ध की समाप्ति के बाद भी, **केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी** की आवश्यकता महसूस की गई।
- **इसलिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू किया गया था।** मामलों की जांच करने की **CBI की शक्ति इस अधिनियम से प्राप्त होती है।**

भारत में आपदा राहत को कैसे वित्तपोषित किया जाता है?

चर्चा में क्यों है?

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में भारी बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि **हिमाचल प्रदेश को इस मानसून में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ**। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, **24 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 9 सितंबर तक 418 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39 लोग लापता** हैं।

- उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य अक्सर केंद्र से ऐसे अनुरोध करते रहते हैं। विशेष राहत पैकेज की मांग भी की जाती है। **ऐसे में प्रश्न उठता है की ऐसी मांगों का आधार क्या है और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का पैमाना कैसे निर्धारित करता** है?

आपदाओं के दौरान राज्यों को किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है?

- इस प्रकृति की आपदाएँ **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आती हैं।**
- **यह अधिनियम "आपदा" को:**
  - ➢ किसी भी क्षेत्र में **प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त क्षति होती** है।
  - ➢ इस आपदा से होने वाली जीवन की यह हानि या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति का विनाश, या पर्यावरण की क्षति, या गिरावट, **ऐसी प्रकृति या परिमाण की है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है।**
- 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम ने **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना** की।

- इस सेटअप का **उद्देश्य भारत में एक एकीकृत आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाना है, जिसमें प्रभावी समन्वय और प्रतिक्रिया के लिए जिला-स्तरीय अधिकारियों को शामिल किया जाए।**

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) क्या है?

- **राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) का उल्लेख 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में किया गया** है। **इसी प्रकार, SDRF राज्यों के लिए मौजूद हैं** और अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि हैं।
- **केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में SDRF में 75% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% योगदान देती है।**
- SDRF का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमलों और ठंढ/शीत लहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है। .
- नवंबर 2019 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रकाशन के अनुसार, **"आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है"।**

- लेकिन **गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, जहां राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता राज्य के आपदा प्रतिक्रिया निधि खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक है,** निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

गंभीर आपदा क्या होती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है?

- उल्लेखनीय है कि किसी आपदा को **"दुर्लभ गंभीरता"/"गंभीर प्रकृति" का घोषित करने का आधार अपरिभाषित है, लेकिन आपदा की तीव्रता और परिमाण, आवश्यक सहायता का स्तर आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता** है।
- यह वर्गीकरण एक विशिष्ट प्रक्रिया पर आधारित है, जहां राज्य सरकार को किसी आपदा से क्षेत्रवार होने वाले नुकसान और धन की आवश्यकता को दर्शाते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।
- इसके बाद, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया जाता है और यह राहत कार्यों के लिए क्षति और धन की आवश्यकता का मौके पर ही आकलन करती है।
- इसके बाद, विशिष्ट समितियाँ इन आकलनों की जाँच करती हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।
- एक उच्च-स्तरीय समिति को NDRF से जारी की जाने वाली तत्काल राहत की मात्रा को मंजूरी देनी होगी।
- गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग तब सहायता प्रदान करेगा और धन के उपयोग की निगरानी करेगा।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए वित्तपोषण प्रक्रिया:

- आपदा प्रबंधन कार्यों के तैयारी, शमन और पुनर्निर्माण के लिए **NDRF और SDRF के लिए धन सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के एक हिस्से के रूप में आवंटित किया जाता है।**
- **वित्त आयोग द्वारा तत्काल राहत के लिए पांच साल की अवधि के लिए धनराशि की सिफारिश की जाती** है।
- 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26 के लिए) ने पिछले व्यय, जोखिम (क्षेत्र और जनसंख्या) खतरे और राज्यों की भेद्यता जैसे कारकों के आधार पर राज्यवार आवंटन के लिए एक नई पद्धति अपनाई।
- आयोग द्वारा **NDRF के तहत 54,770 करोड़ रुपये आवंटित किये गये** हैं। वहीं सभी राज्यों को **SDRF में कुल 1,28,122 करोड़ रुपये आवंटित किए**, जिसमें केंद्र का हिस्सा 98,080 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 30,041 करोड़ रुपये है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार **वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।**
- इन्हें पिछली किस्त में जारी की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति और SDRF द्वारा की गई गतिविधियों पर राज्य सरकार से एक रिपोर्ट की प्राप्ति पर जारी किया जाता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से गुणवत्ता के प्रति जागरूक भारत के मिशन के लिए प्रतिबद्धता जताई:

चर्चा में क्यों है?

- भारतीय मानक ब्यूरो ने **जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने और भारतीय मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन आरंभ** किया है।
- **गांवों में सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयास में**, BIS ने देश भर में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों एवं सचिवों को संवेदनशील बनाने के लिए एक व्यापक पहल आरंभ की है।

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण तथा उत्पादों एवं सेवाओं की समग्र गुणवत्ता के लिए भा**रतीय मानकों के पालन के अहम महत्व को स्वीकार करते हुए BIS ने इस लोकसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है।**

इस पहल का उद्देश्य क्या है?

- इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य **ग्राम पंचायतों के बीच भारतीय मानकों के अनुपालन के महत्व की समझ पैदा करना और ग्रामीण स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करते समय इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना** है।
- इसका लक्ष्य **ग्राम पंचायतों के बीच मानकीकरण की संस्कृति और भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों के उपयोग के लाभों को बढ़ावा देना** है जो जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी पहलों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस पहल की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

- **2.4 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच:** BIS ने देश भर के सभी ग्राम पंचायतों से संपर्क किया है। ग्राम पंचायतों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भारतीय मानकों की पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती है।

- **संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशालाएं:** BIS ने देश भर में राज्य एवं जिला प्राधिकारियों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों एवं सचिवों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत भी की है।

इस पहल के लाभ क्या है?

- **उन्नत गुणवत्ता एवं सुरक्षा:** भारतीय मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देकर, इस **पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लागू सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की समग्र गुणवत्ता एवं सुरक्षा को बढ़ाना** है।
- **उपभोक्ता सुरक्षा:** मानकों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि **उत्पाद और सेवाएं उपभोक्ताओं को घटिया और असुरक्षित पेशकशों से बचाते हुए निर्दिष्ट गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों को पूरा** करें।
- **पर्यावरणगत संरक्षण:** मानकों का अनुपालन उन प्रक्रियाओं को विनियमित करने के द्वारा **पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है जिनका पारिस्थितिकी प्रभाव प्रतिकूल हो सकता** है।
- **क्षमता निर्माण:** संवेदीकरण कार्यशालाओं की रूपरेखा ग्राम पंचायत अधिकारियों को मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है।

- **राष्ट्रीय प्रगति:** यह पहल **सभी सेक्टरों में गुणवत्ता एवं सुरक्षा की एक संस्कृति को बढ़ावा देने के जरिये एक समृद्ध तथा प्रगतिशील भारत के विजन** के अनुरूप है।
- **BIS केयर ऐप को लेकर जागरूकता:** उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए **BIS ने BIS केयर ऐप भी डेवलप किया है जो एंड्रॉइड और IOS दोनों ही प्लेटफॉर्म** पर उपलब्ध है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) क्या है?

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) **भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय** है। भारतीय मानक ब्यूरो **उत्पादों की मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एवं इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए उत्तरदायी** है।
- यह मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन की अपनी मुख्य गतिविधियों के माध्यम से ***सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रदान करके, उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करके, पर्यावरण का संरक्षण करके, निर्यात और आयात को बढ़ावा देकर, और किस्मों पर अधिक मुनाफाखोरी को नियंत्रित करके इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर रहा*** है।